an>

Title: Regarding problems being faced by the sugarcane growers in Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस देश की कैश क्रप गन्ना है। देश का 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहता है, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो, देश के किसी भी राज्य में कैश क्रप, नगदी फसल यदि कोई है तो वह गन्ना है। 2013-2014 के पिछले पेराई सत्र का गन्ने का जो भुगतान बना था, उसमें 8500 करोड़ रुपये आज भी बाकी है। जिसमें केवल उत्तर प्रदेश का जो गन्ना मूल्य है, उसमें 5304 करोड़ रुपये बाकी है। पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री, आदरणीय पासवान जी ने एक बैठक राज्य सरकारों और उद्योग जगत के साथ की। उन्होंने 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य के भुगतान के निर्देश दिये। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी गन्ना मूल्य के लिए कहा है कि किसान अपना गन्ना उधार देता, है, इसलिए सरकार का और चीनी मिलों का दायित्व है कि उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो। चूंकि किसान के पास कोई नगदी फसल नहीं है, किसान की बेटी का विवाह गन्ने की पर्चियों के भुगतान के बाद होता है। अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए किसान अगर मैडिकल कालेज जाता है तो वह उन पर्चियों को गिरवी रखकर या उस पैसे के भुगतान के बाद जाता है, अपने बेटे की फीस या तालीम के लिए भी अगर पैसा भरता है तो किसान के पास केवल गन्ने की आमदनी है। लेकिन आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि देश में किसान की स्थिति इसलिए सबसे ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि उनका पिछले पेराई सत्र का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। इस बार पेराई सत्र में जो चीनी मिलें हैं, वे मिलें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 133 चीनी मिलें हैं, 15 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो जाता था, आज केवल 80 चीनी मिलें चल रही हैं। अब या तो किसानों को गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा या फिर मजबूरन किसान का खेत खाली नहीं होगा। यह एक विषम परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर रिस्पांड करे, जबकि 280 रुपये प्रति क्विंटल पिछली बार गन्ने का मूल्य था, इस बार उत्तर प्रदेश में उसे घटाकर 260 प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके बावजूद भी किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि दस परसैन्ट ब्याज दिया जायेगा, अगर 15 दिन के बाद चीनी मिलें नहीं चलेंगी। 1668 करोड़ रुपये उन्हें नगदी ऋण गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला। वह पैसा किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला, लेकिन उन्होंने खर्च दूसरे मदों में कर दिया और इस पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन चीनी मिलों के खिलाफ नहीं हुई। पहले आर.सी. जारी होती थी, अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं होता था तो यह दायित्व होता था कि उन मिल मालिकों के खिलाफ आर.सी. जारी करके उसके स्टाक की चीनी जब्त की जाती थी। उसको बेच कर पैसा दिया जाता था। अगर चीनी मिल मालिकों की नीयत नहीं होती थी तो उन्हें जेल भेजने तक की कार्रवाई होती थी। आज केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया है। 40 फीसदी उनका आयात बढ़ाने के लिए दिया है। पैट्रोल में एथनॉल बनाने की भी इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने सहूलियत भी दी है कि राज्य की जो चीनी मिलें हैं, वे गन्ना किसानों का भुगतान कर सकें। यह विषय कोई राजनीति का नहीं है। यह पूरे देश के किसानों का है। सभी राज्यों का है और हम किसानों के बीच से चुन कर आते हैं। अध्यक्ष महोदया, आप भी एक माँ के समान हैं। उन बच्चों से पूछिए, जिनकी फीस नहीं भरी जा रही है। इस गन्ने का भुगतान हो, आप इसका निर्देश करें। हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ कहें कि उन्होंने दो बैठकें ली हैं, इसके बावजूद भी राज्य पेमेंट नहीं कर रहा है और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी मिलों के भुगतान हो गए हैं। निजी क्षेत्रों के भुगतान नहीं हुए हैं। इनका एसोसिएशन है, इंडियन शुगरमिल एसोसिएशन। उसने चेतावनी दे दी है कि हम मिलों को नहीं चलाएंगे। किसान एक तो अपना गन्ना उधार देता है, हम बाजार में जाएं तो बिना नकद पैसा दिए बाजार से कोई चीज मिलती नहीं है। इनका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा,

श्रीमती रमा देवी,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री प्रहलाद जोशी,

श्री पी.पी.चौधरी,

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री नाना पटोले, श्री शरद त्रिपाठी,

श्री केशव प्रसाद मौर्य स्वयं को श्री जगदम्बिका पाल के विषय के साथ संबद्ध करते